VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

23 और 24 नवंबर, 2025

न्यूज़ टुडे

विद्युत मंत्रालय ने विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 का मसौदा जारी किया

यह विधेयक **भारत के विद्युत क्षेत्रक के आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण सुधारों** की शुरुआत करता है। **जैसे-**

- यह **विद्युत वितरण में प्रतिस्पर्धा** को बढ़ावा देता है;
- **विनियामक निरीक्षण को मजबूत** करता है;
- **निष्पक्ष मूल्य निर्धारण तंत्रों** का समर्थन करता है आदि।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- **संरचनात्मक सुधार:**
    - **विद्युत वितरण में विनियमित प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाना।** इससे विभिन्न लाइसेंसधारियों को साझा और अनुकूलित अवसंरचना का उपयोग करते हुए एक ही क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति मिल सकेगी।
    - सभी लाइसेंसधारियों के लिए **सार्वभौमिक सेवा दायित्व (USO) को अनिवार्य** करना। इससे सभी उपभोक्ताओं को गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच और आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
        - यह **राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (SERCs)** को मुक्त पहुंच (Open Access) के लिए पात्र बड़े उपभोक्ताओं (>1 MW) हेतु वितरण लाइसेंसधारियों को USO से मुक्त करने में भी सक्षम बनाता है। हालांकि, इसके लिए SERCs **को पहले संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श** करना होगा।
- **टैरिफ और क्रॉस-सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना:**
    - यह **लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ** को बढ़ावा देता है। साथ ही, पारदर्शी बजटीय सब्सिडी के माध्यम से **सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं** (जैसे- किसान, गरीब परिवार आदि) की सुरक्षा करता है।
        - **लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ:** इसका अर्थ एक ऐसी विद्युत मूल्य निर्धारण प्रणाली से है, जहां उपभोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली दर (टैरिफ) उस विशेष उपभोक्ता श्रेणी को विद्युत की आपूर्ति की वास्तविक लागत को सटीक रूप से दर्शाने के लिए निर्धारित की जाती है।
    - यह **विनिर्माण उद्योग, रेलवे और मेट्रो रेलवे के लिए पांच वर्षों के भीतर क्रॉस-सब्सिडी को समाप्त** करने का प्रयास करता है।
- **शासनात्मक और विनियामक मजबूती:**
    - केंद्र व राज्यों के बीच नीतिगत समन्वय और आम सहमति बनाने के लिए एक **विद्युत परिषद** की स्थापना का प्रावधान करता है।
    - SERCs को मानकों को लागू करने; गैर-अनुपालन पर दंड लगाने और यदि आवेदन में देरी होती है, तो **स्वत: संज्ञान (suo moto)** लेकर टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार भी प्रदान करता है।
- **संधारणीयता और बाजार विकास:**
    - **गैर-जीवाश्म ऊर्जा खरीद** के दायित्वों को मजबूत करता है, गैर-अनुपालन के लिए दंड का प्रावधान करता है आदि।
    - नए उपकरणों और व्यापारिक प्लेटफॉर्म्स सहित **विद्युत बाजार के विकास** को बढ़ावा देता है।

यह विधेयक विद्युत क्षेत्रक में लगातार बनी हुई निम्नलिखित प्रमुख समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है:

- **विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स/ Discoms) को लगातार वित्तीय नुकसान:** यह खराब बिलिंग दक्षता तथा उच्च समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C) हानियों के कारण होता है।
- **विद्युत आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा की कमी:** उपभोक्ता एक ही डिस्कॉम से बंधे होते हैं, जिससे सेवा की गुणवत्ता और नवाचार सीमित हो जाता है।
- **क्रॉस-सब्सिडी की विकृतियां:** अन्य श्रेणियों को सब्सिडी देने के लिए औद्योगिक उपयोगकर्ता पर अधिक टैरिफ आरोपित किया जाता है। इससे भारतीय विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो जाती है।

भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसंधान एवं योजना केंद्र ने 'भारत में कारागार 2025' रिपोर्ट जारी की है

इस रिपोर्ट में जेल नियमावलियों, रूढ़ियों, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, मजदूरी और तकनीकी सुधारों की समीक्षा की गई है। साथ ही, रिपोर्ट में जेल प्रशासन द्वारा **कैदियों के प्रति मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण** रखने का सुझाव भी दिया गया है।

भारतीय जेलों से संबंधित मुख्य चिंताएं

- **जेल-प्रशासन:** 'जेल (कारागार)' भारत के **संविधान में सातवीं अनुसूची की सूची- II यानी राज्य सूची का विषय** है। जाहिर है **जेल प्रशासन से जुड़े विषय पर राज्य विधायिका को कानून बनाने का अधिकार** है। इसलिए अलग-अलग राज्यों में जेल-प्रशासन का ढांचा अलग-अलग है।
    - भारत **"कैदियों के साथ व्यवहार के लिए संयुक्त-राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमावली"** का अनुपालन करता है। इस नियमावली को **'नेल्सन मंडेला नियमावली'** (The Nelson Mandela Rules) भी कहा जाता है। यह नियमावली **जेल संस्थानों को मानवीय नजरिए से देखने की वकालत** करती है।
- **जेलों में क्षमता से अधिक कैदी:** भारत में **जेल अधिभोग दर (Occupancy Rate) 131.4%** है। इसका तात्पर्य है कि भारत की जेलों में **आधिकारिक क्षमता से 31.4% अधिक कैदी** रह रहे हैं। **प्रत्येक 4 में से 3 कैदी विचाराधीन** (Undertrials) हैं।
    - **खुली जेलों का कम इस्तेमाल** होता है, जिनमें **अधिभोग दर** 74% है।
- **रूढ़िवादी सोच (Stereotypes):** कई जेल नियमावलियां जेल में **सफ़ाई और स्वच्छता से संबंधित कार्यों को 'तुच्छ' (menial) या 'अपमानजनक प्रकृति का कार्य'** मानती हैं। यह सोच समाज में निहित भेदभाव आधारित श्रम-विभाजन को बढ़ावा देती है।
- **जाति के आधार पर भेदभाव:** कुछ जेल नियमावलियों में **जाति के आधार पर जेल में कार्य विभाजन के नियम** अभी भी कायम हैं।
    - यह प्रावधान **सुकन्या शांथा मामले में असंवैधानिक घोषित** किया गया है।
- **मजदूरी में अंतर:** कैदियों को उनके श्रम के बदले **मिजोरम में 20 रुपये मिलते हैं तो कर्नाटक में 524 रुपये मिलते हैं।** इस तरह मजदूरी में अधिक अंतर मौजूद है।
    - मिजोरम में कैदियों को मिलने वाली मजदूरी **सबसे कम न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत कम है।**
- **महिला कैदी:** जेल नियमावलियों में **प्रजनन विकल्प (Reproductive choice) के अधिकारों** को स्पष्ट नहीं किया गया है। महिला कैदियों को **खाना पकाने जैसे ज्यादातर घरेलू कार्यों तक ही सीमित** रखा गया है। इससे उन्हें **'कार्य के समान अवसर' से वंचित** रखा गया है।
- **विधिक सहायता अधिक प्रभावी नहीं होना:** जेलों में भौतिक और डिजिटल अवसंरचनाओं की कमी है। इस वजह से कैदी, सरकार द्वारा संचालित कई विधिक सहायताओं का समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं।

आगे की राह

- नियमावलियों से कुछ प्रकार के कार्यों को **'तुच्छ' (menial) और 'अपमानजनक' (degrading)** बताने वाली **रूढ़िगत शब्दावलियों को हटाया जाना** चाहिए।
- जेलों में कार्य आवंटन में **जातिगत भेदभाव समाप्त करने हेतु रोटेशन/रोस्टर प्रणाली लागू** की जाए।
- राज्य सरकारों को **कैदियों की मजदूरी की हर तीन वर्ष में समीक्षा और संशोधन** करनी चाहिए।
- विचाराधीन कैदियों के मामलों को **'अत्यावश्यक मामले'** के रूप में चिह्नित करके **न्यायाधीशों द्वारा उनकी सुनवाई को प्राथमिकता सूची** में रखा जाए।
- **अंतर-संचालकीय आपराधिक न्याय प्रणाली (Inter-operable Criminal Justice System: ICJS)** से जुड़े अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर वास्तविक समय (Real-time) के आधार पर **डेटा अपडेट सुनिश्चित** किया जाए ताकि ई-प्रिज़न्स प्रणाली सफल हो सके।
    - ICJS आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़ी संस्थाओं के बीच **बिना रुकावट के डेटा आदान-प्रदान करने की एक पहल है।**

जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में G20 शिखर सम्मेलन, 2025 नेताओं के घोषणा-पत्र के साथ संपन्न हुआ

- यह अफ्रीका में आयोजित होने वाला **पहला G20 शिखर सम्मेलन** था। इसकी थीम थी: **एकजुटता, समानता, संधारणीयता (Solidarity, Equality, Sustainability)**।
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया था। इसके बावजूद भी G20 के नेताओं ने G20 घोषणा-पत्र को अपनाया।

घोषणा-पत्र के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **आपदा प्रतिरोध और ऋण वहनीयता:** जन-केंद्रित आपदा प्रतिक्रिया; ऋणग्रस्त देशों के लिए समर्थन; सतत औद्योगीकरण और रोजगार पर बल।
- **जलवायु और ऊर्जा संक्रमण:** नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार पर जोर, G20 महत्वपूर्ण खनिज फ्रेमवर्क (स्वैच्छिक) का समर्थन, और पेरिस समझौते के 1.5°C लक्ष्य एवं वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों की पुष्टि।
- **संस्थागत सुधार:** UNSC (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) में सुधार और 'उबंटू' (Ubuntu) की भावना में निहित मजबूत बहुपक्षीय सहयोग का आह्वान।
    - **उबंटू:** पारस्परिक जुड़ाव एवं साझी मानवता पर बल।
- **अन्य:** महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण पर प्रतिबद्धता को दोहराया गया, तथा **आतंकवाद** की सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों की निंदा की गई।

शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा प्रस्तावित प्रमुख विचार

- **वैश्विक पारंपरिक ज्ञान रिपॉजिटरी:** सामूहिक मानव बुद्धिमत्ता का उपयोग करना।
- **अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर:** अफ्रीका में युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षक तैयार करना।
- **वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल प्रतिक्रिया दल:** वैश्विक स्वास्थ्य संकटों से निपटने के लिए G20 स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक टीम बनाना।
- **मुक्त उपग्रह डेटा भागीदारी:** कृषि, मत्स्य पालन, आपदा प्रबंधन आदि के लिए उपग्रहों से डेटा साझा करना।
- **महत्वपूर्ण खनिज चक्रीयता पहल:** पुनर्चक्रण, नवाचार और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को बढ़ावा देना।
- **मादक पदार्थ-आतंकवाद गठजोड़ से निपटना:** मादक पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद से निपटने की पहल।
    - G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर, **भारत और इटली ने आतंकवाद के वित्त-पोषण से निपटने** के लिए एक संयुक्त पहल को अपनाया।

G20 के बारे में

- **स्थापना:** G20 की स्थापना 1997-98 के **एशियाई वित्तीय संकट** के बाद 1999 में की गई थी।
- **सदस्य:** अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ।
- **उद्देश्य:** सभी प्रमुख **अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों** पर **वैश्विक संरचना और गवर्नेंस को आकार देने एवं मजबूत करने** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।
- **वार्षिक शिखर सम्मेलन:** G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन **वार्षिक** रूप से होता है। इसकी **अध्यक्षता चक्रीय रूप से हस्तांतरित** की जाती है। सम्मेलन का नेतृत्व **तत्कालीन G20 अध्यक्ष** द्वारा किया जाता है।
    - इसके अध्यक्ष को **'ट्रोइका'** द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है। **ट्रोइका में शामिल हैं:** G-20 का पिछला, वर्तमान और आगामी अध्यक्ष।
    - **दक्षिण अफ्रीका** की अध्यक्षता के दौरान, G20 ट्रोइका के सदस्य **ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका** हैं।

UNFCCC के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन (COP30) 'बेलेम पैकेज' को अपनाने के साथ संपन्न हुआ

United Nations Climate Change
COP30 BRASIL AMAZONIA
#COP30
UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE
NOVEMBER 10-21,2025

'COP30 का बेलेम पैकेज' के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **दो नई पहलों की घोषणा:**
    - **ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलेरेटर:** यह दो-वर्षीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य **'राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाओं'** और **'वैश्विक तापवृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों'** के बीच में अंतराल को समाप्त करना है।
    - **बेलेम मिशन टू 1.5:** यह COP29, COP29 और COP31 की अध्यक्षता करने वाले तीन देशों (Troika) का कार्य-उन्मुख मंच है। इसका उद्देश्य **जलवायु शमन (Mitigation), अनुकूलन (Adaptation), और निवेश में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना** है।
- **ग्लोबल मुटिराओ डिसीजन (Global Mutirao Decision):** यह UNFCCC के पक्षकारों द्वारा अपनाया गया एक **उच्च-स्तरीय दस्तावेज** है। "मुटिराओ" शब्द ब्राजील के मूल निवासी टुपी लोग बोलते हैं। इस शब्द का अर्थ है **"मिलकर कार्य करना"**। **इस दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - विकासशील देशों के लिए जलवायु कार्रवाई हेतु **जलवायु-वित्तपोषण बढ़ाकर 2035 तक 1.3 ट्रिलियन डॉलर वार्षिक सुनिश्चित करना।**
    - **जलवायु अनुकूलन वित्तपोषण को 2025 तक दोगुना और 2035 तक तिगुना करना।**
        - COP30 ने **'ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन (GGA)'** को भी अपनाया। इसमें **वैश्विक अनुकूलन की दिशा में प्रगति के आकलन हेतु 60 संकेतक** शामिल हैं।
    - **जस्ट ट्रांजिशन प्रणाली:** इसका उद्देश्य सहयोग, तकनीकी सहायता और क्षमता-विकास को बढ़ावा देना तथा **न्यायसंगत एवं समावेशी तरीके से 'जस्ट ट्रांज़िशन'** सुनिश्चित करना है।
    - **दो रोडमैप की घोषणा की गई है:**
        - **वन एवं जलवायु रोडमैप:** वनों की कटाई रोकने और पुनर्वनीकरण हेतु;
        - **जीवाश्म ईंधन का उपयोग उत्तरोत्तर कम करना रोडमैप** (The Transitioning Away From Fossil Fuels Roadmap)।
- **COP30 कार्य-एजेंडा के तहत अन्य घोषणाएं:**
    - **फॉस्टरिंग इन्वेस्टिबल नेशनल इम्प्लीमेंटेशन (FINI) पहल:** इसका उद्देश्य तीन वर्षों के भीतर **अनुकूलन निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** जुटाना है। इनमें से **20% पूंजी निजी क्षेत्र से** जुटाई जाएगी।
    - **बेलेम स्वास्थ्य कार्य योजना:** यह जलवायु परिवर्तन जुड़े स्वास्थ्य खतरों से निपटने हेतु **पहली वैश्विक पहल** है।
    - **ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF):** यह वर्तमान उष्णकटिबंधीय वनों के सत्यापन योग्य संरक्षण हेतु **दीर्घकालिक, परिणाम-आधारित वित्तपोषण सुनिश्चित करने वाला पहला तंत्र** है।
    - **जेंडर एक्शन प्लान:** इसका उद्देश्य **सभी जेंडर के अनुकूल बजटिंग और वित्तपोषण को बढ़ावा** देना है। साथ ही, यह देशज, एफ्रो-वंशज और ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व को भी प्रोत्साहन देगा।

VISIONIAS

G20 शिखर सम्मेलन के दौरान IBSA (भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका) नेताओं की बैठक संपन्न हुई

इस बैठक में, भारत ने-

- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में तत्काल सुधार** पर जोर दिया;
- **वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए एकजुट कार्रवाई** का आह्वान किया; तथा
- **सुरक्षित, विश्वसनीय और मानव-केंद्रित AI मानदंडों को आकार देने** में IBSA की संभावित भूमिका को भी रेखांकित किया।

बैठक में भारत द्वारा प्रस्तुत प्रमुख प्रस्ताव

- **संवाद को संस्थागत बनाना:** सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए IBSA देशों के बीच **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर संवाद को संस्थागत बनाने** का प्रस्ताव।
- **IBSA डिजिटल नवाचार गठबंधन:** तीनों राष्ट्रों के बीच **डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)** को साझा करने के लिए प्रस्तावित। जैसे- UPI, कोविन (CoWIN)-जैसे स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क्स, और महिलाओं के नेतृत्व वाली तकनीकी पहलें।
- **जलवायु समुत्थानशीलता (Resilience) कोष:** जलवायु अनुकूल कृषि के लिए IBSA कोष स्थापित करने का प्रस्ताव।

IBSA मंच के बारे में

- **स्थापना:** इसे **2003 में ब्रासीलिया घोषणा** के माध्यम से स्थापित किया गया था। इसे **IBSA संवाद मंच** नाम दिया गया था।
- **सदस्य:** भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ये **तीन महाद्वीपों में फैले ग्लोबल साउथ के तीन प्रमुख लोकतंत्र** हैं।
- **उद्देश्य:** एक नई अंतर्राष्ट्रीय संरचना के निर्माण में योगदान देना और वैश्विक मुद्दों पर अपनी अभिव्यक्तियों को एक साथ लाना।
- **IBSA में निम्नलिखित तीन मोर्चों पर सहयोग होता है:**
  - **वैश्विक और क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दों** पर परामर्श व समन्वय के लिए एक मंच;
  - कार्य समूहों और जन केंद्रित मंचों (People-to-People Forums) के माध्यम से **ठोस क्षेत्रों/ परियोजनाओं पर त्रिपक्षीय सहयोग।**
  - IBSA कोष के माध्यम से **अन्य विकासशील देशों में परियोजनाएं शुरू करके उनकी सहायता करना।**
- **प्रमुख पहलें**
  - **IBSA ट्रस्ट फंड (2004 से कार्यरत):** इसने **अल्प विकसित देशों (LDCs)** के लिए धनराशि आवंटित की है।
    - **संयुक्त राष्ट्र दक्षिण-दक्षिण सहयोग कार्यालय (UNOSSC):** यह IBSA कोष का निधि प्रबंधक और सचिवालय है।
  - **IBSAMAR:** यह **भारतीय, ब्राजीलियाई और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं** के बीच एक संयुक्त बहुराष्ट्रीय **समुद्री अभ्यास** है।

अन्य सुर्ख़ियां

पैरासोशल (Parasocial)

कैम्ब्रिज शब्दकोश ने 'parasocial' (पैरासोशल) को **2025 का 'वर्ड ऑफ द ईयर'** नामित किया।

पैरासोशल के बारे में

- यह शब्द हालिया समय में **विशेष रूप से सोशल मीडिया के उदय और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चैटबॉट्स के आगमन** के साथ काफी प्रासंगिक हो गया है।
- यह एक ऐसा संबंध है, जो **किसी व्यक्ति को किसी प्रसिद्ध व्यक्ति जिसे वे नहीं जानते, या किसी किताब, फिल्म, टीवी श्रृंखला आदि के चरित्र के साथ जुड़ा हुआ महसूस** कराता है।
- जब दर्शक उनका कंटेंट देखने में कई घंटे व्यतीत करते हैं, तो वे पैरासोशल बंधन विकसित कर लेते हैं, और **चरित्रों को करीबी दोस्तों, परिवार या पंथ के नेताओं की तरह अधिक** मानने लगते हैं।

आपदा सूचना प्रबंधन के विकास हेतु एशिया और प्रशांत केंद्र (APDIM)

समावेशी आपदा जोखिम डेटा गवर्नेंस पर APDIM का 10वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ।

आपदा सूचना प्रबंधन के विकास हेतु एशिया और प्रशांत केंद्र (APDIM) के बारे में

- **स्थापना: 2015** में।
- **प्रकार:** यह **एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (UNESCAP)** का एक क्षेत्रीय संस्थान है।
- **मुख्यालय:** तेहरान (ईरान)।
- **शासी परिषद:** इसमें तीन वर्ष की अवधि के लिए चुने गए **आठ UNESCAP सदस्य देश और ईरान सरकार** शामिल हैं।
- **कार्यादेश:** APDIM बेहतर सूचना प्रबंधन के माध्यम से **आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को मजबूत करने के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों का समर्थन** करता है।
- **कार्य:** डेटा व ज्ञान साझा करना, क्षमता निर्माण करना, जोखिम आकलन और विश्लेषण करना, देशों को पूर्व-चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने में मदद करना, प्रतिक्रिया समन्वय और आपदा-पश्चात पुनर्प्राप्ति योजना बनाना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना आदि।

भारत NCAP

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने भारत NCAP 2.0 का संशोधित मसौदा जारी किया।

- संशोधित मसौदे के तहत, किसी वाहन की रेटिंग **पांच मूल्यांकन क्षेत्रों** पर आधारित होगी। ये पांच मूल्यांकन क्षेत्र हैं- **दुर्घटना से सुरक्षा, असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता सुरक्षा, सुरक्षित ड्राइविंग, दुर्घटना से बचाव और दुर्घटना के बाद सुरक्षा।**

भारत-नई कार आकलन कार्यक्रम (भारत NCAP) के बारे में

- **शुरुआत:** इसे दुर्घटना-प्रतिरोध रेटिंग के लिए अक्टूबर 2023 में शुरू किया गया था और यह 2027 तक मान्य होगा।
- **उद्देश्य:** दुर्घटना परीक्षण और आकलन मानदंडों के आधार पर वाहनों के लिए सुरक्षा रेटिंग प्रदान करना।
  - यह कार्यक्रम **स्वैच्छिक प्रकृति** का है।
- **रेटिंग जारी करने हेतु नामित एजेंसी:** केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (CIRT), पुणे।
- **आयोजित परीक्षण:** ऑटोमोटिव उद्योग मानक (AIS)-197 के अनुसार।

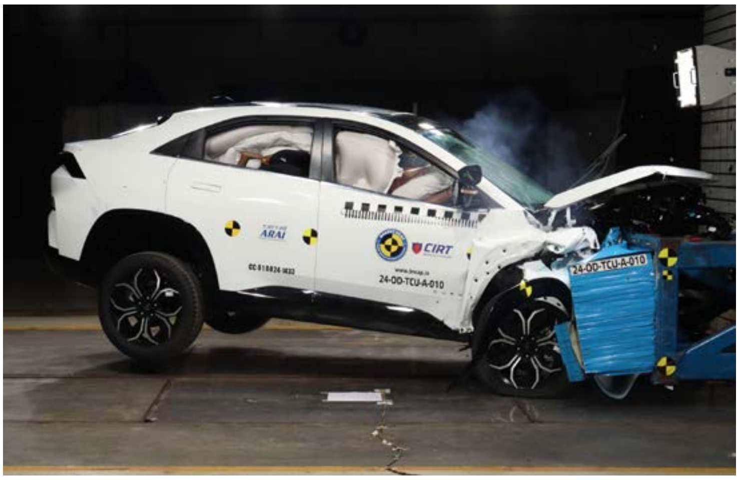

ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार (ACITI)

ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत ने जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक नए त्रिपक्षीय ढांचे ACITI की घोषणा की।

ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-भारत प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (ACITI) साझेदारी के बारे में

- **उद्देश्य:** महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों एवं नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना।
- **प्रमुख फोकस क्षेत्र:** स्वच्छ ऊर्जा तथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण खनिजों में विविध व लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं।
    - अपने-अपने देश के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए **AI के विकास और उसे व्यापक रूप से अपनाने में तेजी लाने** के तरीकों का पता लगाना।

अनुच्छेद 240

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि **आगामी शीतकालीन सत्र में चंडीगढ़ का दर्जा बदलने वाला कोई विधेयक पेश नहीं** किया जाएगा।

- इससे पहले, लोक सभा के एक बुलेटिन में कहा गया था कि केंद्र **चंडीगढ़ को संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत लाने के लिए संविधान संशोधन** प्रस्तुत करेगा।
- इससे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में **एक स्वतंत्र प्रशासक** के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता।
    - उल्लेखनीय है कि वर्तमान में **पंजाब का राज्यपाल** चंडीगढ़ का प्रशासक होता है।

संविधान के अनुच्छेद 240 के बारे में

- यह राष्ट्रपति को **अंडमान-निकोबार द्वीप समूह; लक्षद्वीप; दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव सहित कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति व प्रभावी शासन के लिए नियम बनाने की** शक्ति प्रदान करता है।

संगाई महोत्सव

विरोध प्रदर्शनों के बीच **मणिपुर में संगाई महोत्सव** शुरू हुआ।

संगाई महोत्सव के बारे में

- यह मणिपुर का एक **वार्षिक 10-दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव (21-30 नवंबर) है।** इसका नाम **संगाई हिरण** के नाम पर रखा गया है।
    - संगाई हिरण को **ब्रो-एंटलर्ड डीयर** के रूप में भी जाना जाता है। यह एक दुर्लभ प्रजाति है, जो केवल भारत के **केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान** में पाई जाती है।
        - केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान **विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान** है।
    - केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान **मणिपुर की लोकटक झील** में स्थित है।
- यह **नृत्य, संगीत, हथकरघा, हस्तशिल्प, व्यंजनों और साहसिक गतिविधियों** के माध्यम से मणिपुर की परंपराओं को प्रदर्शित करता है।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने **पूर्वोत्तर में माल आवाजाही, यात्री परिवहन और नदी-आधारित पर्यटन** को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) के बारे में

- **उत्पत्ति:** 1986 में स्थापित। यह **केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** के अधीन एक नोडल एजेंसी है। इसे भारत में **राष्ट्रीय जलमार्गों (NW) के विकास और विनियमन** का कार्य सौंपा गया है।
- **मुख्यालय:** नोएडा, उत्तर प्रदेश।
- **अधिदेश और कार्य:**
    - **शिपिंग और नौवहन** के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास एवं विनियमन।
    - **अवसंरचना का विकास** जैसे- ड्रेजिंग, नदी संबंधी प्रशिक्षण, टर्मिनल निर्माण और नौवहन सहायता।
    - अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) के माध्यम से **माल और यात्रियों की सुरक्षित एवं कुशल आवाजाही सुनिश्चित** करना।
    - **राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास:** राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद, कुल 111 जलमार्ग विकास के लिए IWAI के अधीन आ गए हैं।

ऑरामाइन ओ (Auramine O)

भारत में खाद्य पदार्थों में रासायनिक मिलावट की घटनाएं लगातार जारी हैं। मिलावट में विशेष रूप से **गैर-अनुमत सिंथेटिक रंगों, खासकर ऑरामाइन ओ का अधिक उपयोग** किया जा रहा है।

ऑरामाइन O के बारे में

- ऑरामाइन O एक **पीला, गंधहीन, क्रिस्टलीय (रेत जैसा) पाउडर या परतदार पदार्थ** है।
- इसका उपयोग **कागज़, वस्त्र और चमड़े** के लिए **रंजक** के रूप में किया जाता है। इसके अलावा, इसे **एंटीसेप्टिक और कवकनाशी** के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है।
- इसे **भारत, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका** में खाद्य रंग के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।
- **स्वास्थ्य संबंधी जोखिम:** यकृत और गुर्दे की क्षति, प्लीहा (spleen) का बढ़ना, उत्परिवर्तनीय प्रभाव जो आनुवंशिक सामग्री को बदल सकते हैं, और संभावित कैंसरकारी परिणाम।
- **अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (IARC)** ऑरामाइन को एक ऐसे पदार्थ के रूप में वर्गीकृत करती है, जो मनुष्यों के लिए संभवतः **कैंसरकारी** है।